

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय- बैढन (म.प्र.)

-:: विविध आदेश ::-

क्र./12/सीजेएम/2023

सिंगरौली, दिनांक : 01.04.2023

मैं **के.पी. सिंह**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु व्यवस्था करता हूँ, तथा यदि रिमांड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा।

सिंगरौली मुख्यालय बैढन -

क0	न्यायिक अधिकारी	माह अप्रैल 2023
		रिमांड दिनांक
1.	श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन	14.04.2023, 15.04.2023, 16.04.2023
2.	श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. बैढन	02.04.2023, 04.04.2023, 22.04.2023, 23.04.2023,
3.	श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. बैढन	07.04.2023, 09.04.2023, 30.04.2023

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क0	न्यायिक अधिकारी	माह अप्रैल 2023
		रिमांड दिनांक
1.	श्रीमती आयुषी शर्मा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	14.04.2023, 15.04.2023, 16.04.2023, 30.04.2023
2.	श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवसर	02.04.2023, 04.04.2023, 07.04.2023, 09.04.2023, 22.04.2023, 23.04.2023,

- नोट:-
- यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
  - रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
  - उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करते हुए आपस में रिमाण्ड ड्यूटी बदल सकते हैं।
  - किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देंगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैढन, सिंगरौली द्वारा किया जावेगा।
  - यदि किसी कारणवश माह अप्रैल 2023 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो उस तिथि का सिंगरौली मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन जिला सिंगरौली म०प्र० के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं देवसर मुख्यालय में श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवसर जिला सिंगरौली म०प्र० के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।


*sd*  
(के.पी. सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म०प्र०)

पृ.क्र./ 39 (11) /2023

सिंगरौली, दिनांक : 01.04.2023

**प्रतिलिपि:—**

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली मुख्या० बैठन (म०प्र०) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली मुख्या. बैठन।
4. श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली मुख्या. बैठन।
5. श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली, मुख्या. बैठन।
6. श्री आयुष कनेल, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, सिंगरौली मुख्या. बैठन।
7. श्रीमती आयुषी शर्मा, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
8. श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
9. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
10. जिला नाजिर, जिला न्यायालय बैठन/देवसर जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैठन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैठन/देवसर की ओर सूचनार्थ।

  
(कै.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिंगरौली मुख्या० बैठन (म०प्र०)